बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–48/2020 – 1781 /पटना, दिनांक–08/6/2020
प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये **पुनरीक्षित प्रशासनिक** स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है:–

Sl. No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-year Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Revised Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Simri Bakhtiyarpur	Sonbarsa	Biratpur To Soha	4.606	210.26600	46.82400	10.54400	267.63400
2	Simri Bakhtiyarpur	Patarghat	Kishanpur To Barsingha	3.500	154.19100	35.67900	8.90400	198.77400
3	Simri Bakhtiyarpur	Sonbarsa	Dumra Sonbarsa Road To Sirrahi	3.644	175.01200	39.10800	8.90400	223.02400
4	Simri Bakhtiyarpur	Patarghat	Sakhauri To Tulshipur	4.754	201.44600	52.00400	10.90900	264.35900
5	Simri Bakhtiyarpur	Sonbarsa	Dumra To Baltora Ghat Tariyama Via Lagma	1.500	91.36600	16.68400	4.43700	112.48700
6	Simri Bakhtiyarpur	Patarghat	REO Road Pama To Baniniya, Barasingha Via Deeh Tola Kabaiya Tola	5.110	207.52900	53.21100	10.71100	271.45100
7	Simri Bakhtiyarpur	Patarghat	Patarghat To Paharpur	5.900	265.78100	61.89900	15.30900	342.98900
	Total							1680.71800

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

J. Kumar

8
8/6/2020

2. उक्त सभी योजनाओं का पूर्व में विभागीय पत्रांक–मु0अ0–04–(मु0)–3054–04–101/2019–2051, दिनांक–03.07.2019 एवं पत्रांक–मु0अ0–04–(मु0)–3054–04–101/2019 – 3682 दिनांक–28.08.2019 के द्वारा **कुल 1057.97900 लाख** रुपयें पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत की गयी थी।
3. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, सिमरी बख्तियारपुर** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– **मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–64/2019** में दिनांक 01.06.2019 को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की **पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति** के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 29/05/20 को संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–48/2020 में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु** अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।

J. Kumar   8/6/2020

15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

16. पुनरीक्षित स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054 04–48/2020 के पृ0– 11 /टि0 पर दिनांक– 4.6.2020 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

8/6/2020

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–48/2020 – 1781 /पटना, दिनांक–08/6/2020

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/6/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–48/2020 – 1781 /पटना, दिनांक–08/6/2020

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, **सहरसा**/जिला पदाधिकारी, **सहरसा**/उप विकास आयुक्त, **सहरसा**/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता–2** एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, **सहरसा** /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **सिमरी बख्तियारपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं **आई0टी0 नोडल पदाधिकारी** को MIS में अपलोड करने हेतु एवं **आई0टी0 मैनेजर** को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

J. Kumar

8/6/2020

अपर सचिव